179

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी–5/2/20008/3/एक भोपाल, दिनांक २४/~~अगस्त~~10, 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र.ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय :– म.प्र.सिविल सेवा आचरण–नियम, 1965 में संशोधन।

सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रावधान मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.9.2008 द्वारा आचरण नियम,1965 में किये गये संशोधन की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : यथोपरि।

24-10-08

(व्ही.एस.सावनेर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक सी–5/2/20008/3/एक भोपाल, दिनांक 24/~~अगस्त~~10, 2008

प्रतिलिपि–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र. भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक म.प्र., भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र.भोपाल
10. सचव, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,म.प्र. च्च न्यायालय,खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सा.प्र.वि. मंत्रालय, भोपाल

15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल
16. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल
18. अध्यक्ष, म.प्र.राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

21-10-08

(व्ही.एस.सावनेर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 575] भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 सितम्बर 2008—आश्विन 5, शक 1930

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2008

क्र. सी-5-2-2008-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधित करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"12-क. **शासकीय जानकारी की संसूचना**—प्रत्येक शासकीय सेवक, अपने कर्तव्यों का सद्भावनापूर्वक अनुपालन करने में, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी व्यक्ति को जानकारी संसूचित करेगा :

परन्तु कोई भी शासकीय सेवक, शासन के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार या उसे सौंपे गए कर्तव्यों का सद्भावनापूर्वक अनुपालन करने में, सिवाय, किसी शासकीय सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे कि वह ऐसा दस्तावेज या वर्गीकृत जानकारी संसूचित करने के लिए प्राधिकृत न किया गया हो, कोई शासकीय दस्तावेज या उसका कोई भाग या वर्गीकृत जानकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित नहीं करेगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अकीला हशमत, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2008

क्र. सी-5-2-2008-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 सितम्बर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अकीला हशमत, उपसचिव.

Bhopal, the 27th September 2008

No. C-5-2-2008-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, namely :—

AMENDMENTS

In the said Rules, after rule-12, the following rule shall be inserted, namely :—

"12-A. **Communication of Official Information**—Every Government servant shall, in performance of his duties in good faith, communicate information to a person in accordance with the provisions of Right to Information Act, 2005 (22 of 2005) and the rules made thereunder :

Provided that no Government servant shall, except in accordance with any general or special order of the Government or in performance in good faith of the duties assigned to him, communicate, directly or indirectly, any official document or any part thereof or classified information to any Government servant or any other person to whom he is not authorised to communicate such document or classified information."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AQUEELA HASHMAT, Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.